विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः— 246429

पत्रांकः— 907 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2023—24, दिनांकः—22 / 12 / 2023

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड
नारायणबगड़।

विषयः— उपभोक्ता वाद संख्या 234 / 2023—24 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 234 / 2023—24 परिवादी श्री दीपक कुमार, ग्रा0—केयरतल्ला, पो0—नारायणबगड़, का शिकायती पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये अन्तरिम निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः— यथापरोक्त।

(शशि भूषण मैठाणी)

प्रतिलिपि सूचनार्थः—

1. कम्पनी सचिव,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0का0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. विद्युत उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, थराली।
3. परिवादी श्री दीपक कुमार, ग्रा0—केयरतल्ला, पो0—नारायणबगड़।
4. फाइल नं0—234 / उ.शि.नि.मं. / क.क्षे. / शि.नि. / 2023—2024।
5. कट फाइल।

(सन्दर्भित आदेश अगले पृष्ठ क्रमांक 01से 03 तक संलग्न)

22-12-23

(शशि भूषण मैठाणी)
सदस्य—उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (गण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 234 / 2023–24 दिनांक–22.12.2023

श्री दीपक कुमार,पुत्र स्व0 मोहन लाल
ग्रा0–केयरतल्ला पो0--नारायणबगड़। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़। – विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1- उपभोक्ता श्री दीपक कुमार, ग्रा0–केयरतल्ला, पो0--नारायणबगड़, का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा वाद सं0 234 में दर्ज कर लिया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार उपभोक्ता का संयोजन सं0--NB11321018262 है, जिस पर विद्युत बिल समय से जमा करने के पश्चात् भी विभाग द्वारा अचानक से वर्ष 2019 में 2,95,572 रु0 का बिल दिया गया था, जिसमें से रू0 50,000 जमा करने के बाद विभाग द्वारा जनवरी 2021 में उपभोक्ता का कनैक्शन काट दिया गया, जिस कारण उपभोक्ता अपने किरायेदार के कनैक्शन से बिजली का उपयोग कर रहा है।

2- सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विभाग को यह निर्देश दिया गया, कि उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन न काटा जाय, सुनवाई के दौरान उपखण्ड अधिकारी श्री अतुल कुमार वि0वि0उपखण्ड थराली द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता के परिसर का विद्युत संयोजन भौतिक रूप से जोड़ दिया गया है एवं विच्छेदित नहीं है। दिनांक 23.04.2023 को मंच के सदस्यों द्वारा उपभोक्ता के परिसर का स्थलीय निरीक्षण करने पर देखा गया कि उपभोक्ता का संयोजन विच्छेदित है। विभाग ने मंच के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया एवं मंच को गलत सूचना दी। अतः मंच द्वारा विभाग को दिनांक 02.05.2023 को अन्तरिम आदेश प्रेषित कर उपभोक्ता की बिजली सप्लाई बहाल की।

3- पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तत्थों का अवलोकन करने के पश्चात् मंच ने यह पाया कि उपभोक्ता को दिनांक 11.11.2019 एवं 31.05.2020 को दिये गये बिलों के अनुसार उपभोक्ता के विद्युत की खपत 44342 एवं 26700 यूनिट है, जो उसके पूर्व में दिये गये बिलों की तुलना से 10 गुना अधिक है, एवं तकनाकि दृष्टि से सही प्रतीत नहीं होती है। मंच द्वारा विभाग को आदेश देने के उपरान्त विभाग द्वारा टेस्ट मीटर भी लगाया गया, जिसकी सीलिंग रिपोर्ट पत्रांक 711 दिनांक 10.11.2022 द्वारा मंच को दिनांक 8.12.2022 की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की। विभाग द्वारा दिनांक 02.05.2023 की सुनवाई के दौरान मंच को यह अवगत किया कि उपभोक्ता के परिसर में लगाए गए चैक मीटर को निकाल दिया गया है। लेकिन विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्रांक 711 दिनांक 30.11.2022 में संलगित कन्ज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि चैक मीटर सं0 SS15315269 स्थापित है, एवं पुराना मापक सं0--32121120 दिनांक 31.05.2022 को बदल दिया गया है। विभाग का कथन कन्ज्यूमर हिस्ट्री में दिये गये तथ्यों से मेल नहीं खाता है।

क्रमशः..... 02

4- उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations 2020 कs Sub-Regulation 5.1.3 में मीटर टेस्टिंग के नियम प्रदर्शित हैं। Sub-Regulation 5.1.3 (11) एवं (12) में उपभोक्ता के सीलिंग प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर सम्बन्धित नियम स्पष्ट हैं। जोकि नीचे निहित किया गया है।

"Sub-Regulation 5.1.3(11)
Whenever the testing of meter is done, signature of the consumer, or his authorised representative, if present, would be obtained on the test report and a copy thereof shall be supplied to the consumer."

"Sub-Regulation 5.1.3(12)
If the consumer or his representative disputes or refuses to sign the test report, the defective meter shall not be replaced and the matter shall be decided either (a) upon the application of consumer, by CGRF or Electrical Inspector or any authorised third party, who shall test the correctness of the meter and give results within one month ; or (b) upon the application of Licensee , by Electrical Inspector or any authorised third party, who shall test the correctness of the meter and give results within one month.
The decision of the Electrical Inspector or CGRF or authorised third party, as the case may be, shall be final and binding on the licensee as well as the consumer. The Licensee shall keep record of all such meter tests and submit to the Commission the exception reports in every 6 months"

प्रस्तुत पत्रावलियों से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर की प्रक्रिया में सीलिंग प्रमाण, पत्र पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। दिनांक 20.04.2023 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता ने चैक मीटर फाइनल रिपोर्ट पर अपनी असहमति व्यक्त की। ऐसी स्थिति में UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations 2020 के Sub-Regulation *5.1.3(11)* एवं *5.1.3(12)* में स्पष्ट है कि अगर उपभोक्ता टेस्ट रिपोर्ट साइन करने से मना करता है तो licensee टेस्ट की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए *Electrical Inspector or any authorised third party* को आवेदन करने के लिए माननीय आयोग के नियम से बाध्य है। विभाग द्वारा पुराना मीटर उपभोक्ता की सन्तुष्टि के बिना निकाल दिया गया है जो कि UERC के नियमों*5.1.3(11)* एवं *5.1.3(12)* का उल्लघंन है। विभाग द्वारा के UERC की नियमावलियों/विनियमों का पालन नहीं किया गया। विपक्षी द्वारा मीटर टेस्टिंग के UERC की नियमावली का उल्लंघन करने के कारण विपक्षी उपभोक्ता के मीटर की शुद्धता साबित करने में नाकाम रहा।

5- पत्रावली के अनुसार उपभोक्ता का Connected Load 1 kW है, एवं उपभोक्ता का दिनांक 22.03.2019 से दिनांक 13.05.2019 तक की बिजली की खपत 41224 यूनिट (**present reading 43624 kwh– previous reading** 2400 **kwh**) दर्ज की गई है। अर्थात 52 दिनों में 1 kW स्वीकृत भार में 792 यूनिट प्रतिदिन की खपत दर्ज हुई। तकनीकि दृष्टि से 792 यूनिट की खपत1 kW के स्वीकृत भार और कन्ज्यूमर हिस्ट्री में दर्ज MDI के अनुसार सम्भव नहीं है। पत्रावली का अवलोकन करने पर मंच द्वारा यह भी पाया गया कि दिनांक 13.05.2019 को प्रेषित बिल की मीटर रीडिंग 43624 **kwh** है एवं दिनांक 17.09.2019 को प्रेषित बिल की रीडिंग 5755 **kwh** है, अर्थात पूर्व की मीटर रीडिंग बाद में दिये गये बिल की मीटर रीडिंग से अधिक है जोकि तकनीकि दृष्टि से सम्भव नहीं है। उक्त दिनांक 13.05.2019 के 41224 यूनिट की खपत को विभाग ने उपभोक्ता के दिनांक 23.05.2019 से दिनांक 23.03.2022 तक के बिलों में विभाजित कर प्रेषित किया।

6- UERC के उपरोक्त मीटर टेस्टिंग के नियमों का उल्लघंन करने एवं तकनीकि दृष्टि से 1 kW स्वीकृत भार में प्रतिदिन 792 यूनिट की खपत सम्भव नही होने के कारण मंच का यह मत है, कि उपभोक्ता का दिनांक 13.05.2019 से दिनांक 21.05.2022 तक के बिल निरस्त करना न्यायोचित होगा। ऐसी दशा में परिवादी की दिनांक 13.05.2019 और दिनांक 11.07.2019 के बीजक के UERC आपूर्ति संहिता 2020 के सब रेगुलेशन 5.1.7(1)के अनुसार पूर्व तीन बिल चक्रों दिनांक 14.11.2018, 15.01.2019 एवं 22.03.2019 की औसत खपत (120+88+312/3=173) के आधार पर प्रेषित कर सकता है, यह प्रभार उसे केवल अधिकतम तीन महीने की अवधि अथवा द्विमासिक बिलिंग की दशा में अधिकतम दो बिलिंग साइकिल तक होंगे इसके पश्चात् विभाग त्रुटिपूर्ण मीटर बदलने के उपरान्त बिल जारी करने का अधिकार रखता है।

क्रमशः..... 03

वाद संख्या 234/2023–24 दिनांक–22.12.2023
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

आदेश

मंच उपभोक्ता का दिनांक 13.05.2019 से दिनांक 23.03.2022 तक के बिल निरस्त करता है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेश दिया जाता है, कि परिवादी का दिनांक 13.05.2019 एवं दिनांक 23.03.2022 का बिल 173 यूनिट के अनुसार संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा एवं विभाग को यह भी आदेश दिया जाता है कि परिवादी के परिसर में स्थापित विद्युत मापक को अविलम्ब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः मीटर की तकनीकि खराबी के कारण इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो।

उक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसंत बिहार देहरादून में अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के भीतर मंच को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22-12-23
शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

22-12-23
सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

22-12-2023
भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग.

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 908 /उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0सं0प0/2023–24, दिनांकः– 22/12/2023

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 306/2023–24 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 306/2023–24 परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह टोलिया, ग्रा0–मेहरगॉव सिंहधार जोशीमठ, का शिकायती पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(शशि भूषण मैठाणी)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0का0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. उपखण्ड अधिकारी, उ0पा0का0लि0,वि0वि0 उपखण्ड, जोशीमठ।
3. परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह टोलिया, ग्रा0–मेहरगॉव सिंहधार जोशीमठ ।
4. फाइल नं0–306/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2023–2024।
5. गार्ड फाइल।

(सन्दर्भित आदेश अगले पृष्ठ क्रमांक 01से 03 तक संलग्न)

22/12/23

(शशि भूषण मैठाणी)

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 306/2023–24 दिनांक–22.12.2023

श्री नरेन्द्र सिंह टोलिया,
ग्रा0–मेहरगॉव सिंहधार
जोशीमठ। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर। – विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी – सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी – सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी – सदस्य विधि

निर्णय

1. उपभोक्ता श्री नरेन्द्र सिंह टोलिया, ग्रा0–मेहरगॉव सिंहधार जोशीमठ का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 19.05.2023 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं0 306 में दर्ज कर लिया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार उपभोक्ता ने दिनांक 03.05.2023 को विद्युत कार्यालय जोशीमठ में चेक मीटर लगाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया एवं चेक मीटर की नियत धनराशि रू0 118 भी जमा कर दी गई किन्तु 15 दिन का समय होने के पश्चात् भी विभाग द्वारा दिनांक 18.05.2023 तक भी उपभोक्ता के परिसर पर चेक मीटर नहीं लगाया गया, उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर की रसीद सं0 3450203052302010001 दिनांक 03.05.2023 भी शिकायत पत्र के साथ संलग्न किया गया है।
2. उपभोक्ता द्वारा पूर्व में दी गई दिनांक 24.09.2022 की शिकायत जिसमें कि माह सितम्बर 2022 का बिल अधिक आने के सन्दर्भ में मंच को बिल में संशोधन करने का आग्रह किया गया था, इस सन्दर्भ में मंच द्वारा उपभोक्ता को मीटर की शुद्धता प्रमाणित करने हेतु चैक मीटर लगाने का सुझाव दिया गया था।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 16.06.2023 के दौरान उपभोक्ता द्वारा मंच को अवगत किया गया कि सुनवाई के दिन तक उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर नहीं लगाया गया है एवं विभाग द्वारा मंच को यह आश्वासन दिया गया, कि चेक मीटर दिनांक 17.06.2023 तक लगा दिया जाएगा।
4. विपक्षी द्वारा दिनांक 27.09.2023 की सुनवाई के दौरान उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 204 द्वारा अवगत किया गया, कि उपभोक्ता के परिसर में चैक मीटर शुल्क रसीद सं0–3450203052302010001 की रीडिंग दिनांक 27.07.2023 को फाइनल कर दी गई है और बिल में संशोधन हेतु अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया है।
5. मंच द्वारा दोनों पक्षों को सुना एवं तथ्यों का अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन से यह विदित होता है, कि परिवादी द्वारा मीटर शुल्क रसीद सं0–3450203052302010001 दिनांक 03.05.2023 को मीटर शुद्धता प्रमाणित हेतु शुल्क जमा किया गया था और विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के परिसर में फार्म स0–10 दिनांक 17.06.2023 को चेक मीटर लगाया गया एवं फार्म स0–1458 दिनांक 27.07.2023 को मीटर टेस्टिंग फाइनल की दी गई। अभिलेखों के अनुसार परिवादी का विद्युत कनैक्शन दिनांक 30.07.2018 को रिलीज किया गया है और परिवादी का 2018 के उपरान्त मीटर चेंज

क्रमशः..... 02

नहीं किया गया। परिवादी द्वारा मीटर टेस्टिंग शुल्क जमा करने की तिथि दिनांक 03.05.2023 और फाइनल सीलिंग प्रमाण पत्र दिनांक 27.07.2023 से यह ज्ञात होता है कि मीटर की जॉच/प्रमाणिकता में 85 दिनों का समय लगाया गया।

6. UERC के आपूर्ति संहिता 2020 के सब रेगुलेशन 5.1.3(5) के अनुसार विभाग शिकायत प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार मीटर का परीक्षण करेगा तथा उपभोक्ता को उचित रूप से अधिकृत परिणाम प्रस्तुत करेगा। सब रेगुलेशन 5.1.3(10) में यह स्पष्ट है कि अगर मीटर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं से परे तेज है तो अनुज्ञापी परीक्षण करने के 15 दिनों के भीतर त्रुटिपूर्ण मीटर को बदलेगा/सुधार करेगा। तथा उपभोक्ता के 12 महीने पहले के बिलों में सुधार कर उक्त त्रुटि के फलस्वरूप जमा करायी गई अधिक राशि का समायोजन/रिफन्ड, उस तिथि तक का जिस तिथि तक त्रुटिपूर्ण मीटर को बदला गया हो/ठीक कर दिया गया हो, को करना सुनिश्चित करें।
7. UERC (Standard of Performance) Regulations 2022 के सब रेगुलेशन शिड्यूल III 4 (1) में विनिर्दिष्ट नियम के अनुसार मीटर की परिशुद्धता की दर्ज शिकायत का परीक्षण 30 दिनों के भीतर न होने पर प्रतिदिन 50रू0 प्रतिपूर्ति उपभोक्ता को देय होगा। विभाग द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने में 85 दिन का समय लगा, जिसमें की 55 दिनों की देरी हुई। अतः मंच का यह मत है कि विभाग द्वारा माननीय विद्युत नियामक आयोग के उपरोक्त विनियमों का पालन नहीं किया गया है। जिसके लिए 50रू0 प्रतिपूर्ति प्रतिदिन के हिसाब से उपभोक्ता को कुल देय राशि 2750रू0 (दो हजार सात सौ पचास) होती है।
8. सीलिंग रिपोर्ट सं0–10 दिनांक 17.06.2023 एवं फाइनल सीलिंग सं0–1458 दिनांक 27.07.2023 की तुलना करने पर पाया गया, कि पुराने मापक में विद्युत की खपत 4 यूनिट है। जबकि नये मापक में विद्युत की खपत 3 यूनिट है, अतः यह स्पष्ट है कि पुराना मापक 33 प्रतिशत तेज है। अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि परिवादी के हस्ताक्षर मीटर लगाने एवं मीटर उतारते समय सीलिंग रिपोर्ट में उपलब्ध हैं, तथा परिवादी द्वारा मीटर की शुद्धता पर किसी प्रकार की आपत्ति/असंतुष्टि नहीं की गई है। विभाग द्वारा मीटर टेस्टिंग की प्रक्रिया का पालन नियम के अनुसार किया गया है। कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार उपभोक्ता का मीटर पिछले 12 महीने में परिवर्तित नहीं हुआ है, और उपभोक्ता का विद्युत संयोजन 2018 से प्रेषित है। अतः मंच का यह मत है कि UERC आपूर्ति सहिता 2020 के सब रेगुलेशन के सप्लाई कोड 5.1.3(10) के अनुसार उपभोक्ता का मीटर 33 प्रतिशत तेज होने के कारण उपभोक्ता के बिल में 33 प्रतिशत का सुधार नियम के अन्तर्गत है। UERC के आपूर्ति सहिता 2020 के विनियम 5.1.3(10) का पालन करते हुए उपभोक्ता के 12 महीने पहले के बिलों में भी 33 प्रतिशत की दर से सुधार करना उपयुक्त है। उक्त त्रुटि के फलस्वरूप जमा करायी गई अधिक राशि का समायोजन/रिफन्ड, उस तिथि तक का जिस तिथि तक त्रुटिपूर्ण मीटर को बदला गया हो/ठीक कर दिया गया हो, करना नियम के अनुसार है।
9. पत्रावलियों का अवलोकन करने पर यह भी देखा गया कि उपभोक्ता को दिनांक 06.09.2023 का बिल NA के आधार पर 6699 यूनिट का दिया गया है, जिसमें दर्शायी गई प्रीविएस रीडिंग 7438 kwh में 6699 यूनिट जोड़ने पर 14137 kwh मीटर रीडिंग होती है, जो कि मीटर सीलिंग रिपोर्ट सं0–1458 दिनांक 27.07.2023 में दर्ज मीटर रीडिंग 7452 kwh से कम है, अतः तकनीकि रूप से सम्भव नहीं होने के कारण मंच के अनुसार निरस्त करने योग्य है।

क्रमशः..... 03

वाद संख्या 306 / 2023–24 दिनांक–22.12.2023
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है, कि उपभोक्ता को 55 दिनों की मीटर रीडिंग की शुद्धता मापने में देरी होने के कारण रू0 2750(दो हजार सात सौ पचास) प्रतिपूर्ति देय होगी। जोकि परिवादी के अग्रिम बिलों में समायोजित किया जाए। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है, कि उपभोक्ता का दिनांक 11.09.2022 को प्रेषित बिल मीटर तेज होने के कारण निरस्त करके नया बिल 33 प्रतिशत की दर से सुधार कर, प्रेषित करना होगा। साथ ही पिछले 12 महीने के विद्युत बिल भी 33 प्रतिशत की दर से संशोधित कर प्रेषित करना होगा। उक्त त्रुटि के फलस्वरूप जमा करायी गई अधिक राशि का समायोजन / रिफन्ड उस तिथि तक का जिस तिथि तक त्रुटिपूर्ण मीटर बदल दिया गया हो, करना होगा एवं दिनांक 06.09.2023 का NA का बिल भी निरस्त करके मीटर रीडिंग लेकर 33 प्रतिशत संशोधित करके प्रेषित करना होगा। इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा।

उक्त निर्णय की अनुपालन आख्या 30 दिनों के भीतर मंच को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसंत बिहार देहरादून में अपील कर सकता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/12/23 22-12-2023 22/12/2023

शशि भूषण मैठाणी (सदस्य उपभोक्ता) | सन्तोष डिमरी (सदस्य विधि) | भूपेन्द्र सिंह कनेरी (सदस्य तकनीकि)

सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 909 /उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0सं0प0/2023–24.	दिनांकः–22/12/2023

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड, गैरसैंण।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 323/2023 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 323/2023 श्री महाराज सिंह लिगवांल, ग्राम व पो0ओ0–गौचर, के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या से मंच को 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(शशि भूषण मैठाणी)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1- कम्पनी सचिव,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0का0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2- विद्युत उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, कर्णप्रयाग।
3- परिवादी श्री महाराज सिंह लिगवांल, ग्राम व पो0ओ0–गौचर ।
4- फाइल नं0–323/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2023।
5- गार्ड फाइल।

(सन्दर्भित आदेश अगले पृष्ठ क्रमांक 01में संलग्न)

22/12/23

(शशि भूषण मैठाणी)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 323/2023–24 **दिनांक–22.12.2023**

श्री महाराज सिंह लिंगवाल – परिवादी
ग्राम व पो0ओ0–गौचर।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
गैरसैंण।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी – सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी – सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी – सदस्य विधि

निर्णय

1. उपभोक्ता श्री महाराज सिंह लिंगवाल, ग्राम व पो0ओ0–गौचर, का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 09.10.2023 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं0– 323 में दर्ज कर लिया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार उपभोक्ता का विद्युत संयोजन सं0–GS62162016458 है, विभाग द्वारा उक्त संयोजन पर IDF बिल प्रेषित किया जा रहा है। जबकि मीटर सुचारू रूप से चल रहा है।
2. मंच द्वारा शिकायतकर्ता की सुनवाई दिनांक 26.10.2023 के दौरान कोई उपस्थित नही हुए, एवं दिनांक 06.11.2023 की सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से श्री मुनीष कुमार अवर अंभियन्ता विद्युत वितरण उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए,विभाग द्वारा उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की गई।
3. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को दिनांक 19.08.2023 से IDF के बिल प्रेषित किये जा रहे हैं। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations 2020 के Sub-Regulation5.1.7(1) के अनुसार मीटर त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में विभाग उपभोक्ता को पिछले तीन बिल चक्रों के औसत खपत के आधार पर बिल जारी कर सकता है। यह प्रभार दो बिलिंग चक्रों की अधिकतम अवधि के लिए लगाए जाएगें इस दौरान त्रुटिपूर्ण मीटर को बदल दिया जाएगा। यह विनियम UERC के टैरिफ आदेश 2023–24 के अध्याय 08 की बिन्दु सं0 04 में भी वर्णित है।

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उपभोक्ता के दिनांक 23.10.2023 एवं उसके उपरान्त के बिल निरस्त करने का आदेश देता है। एवं विभाग को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह उपभोक्ता का विद्युत मापक अविलम्ब परिवर्तित करके नए मीटर के अनुसार बिल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/12/23
शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

22-12-2023
सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

22-12-2023
भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 910 /उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0सं0प0/2023–24, दिनांकः– 22/12/2023

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 324/2023–24 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 324/2023–24 परिवादी श्री दिवाकर भट्ट, निकट नन्दा देवी होटल जोशीमठ, का शिकायती पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(शशि भूषण मैठाणी)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0का0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. उपखण्ड अधिकारी, उ0पा0का0लि0,वि0वि0 उपखण्ड, जोशीमठ।
3. परिवादी परिवादी श्री दिवाकर भट्ट, निकट नन्दा देवी होटल जोशीमठ ।
4. फाइल नं0–324/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2023–2024।
5. गार्ड फाइल।

(सन्दर्भित आदेश अगले पृष्ठ क्रमांक 01 से 04 तक संलग्न)

22/12/23

(शशि भूषण मैठाणी)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 324 / 2023–24 दिनांक–22.12.2023

श्री दिवाकर भट्ट, निकट नन्दा देवी होटल, जोशीमठ, जिला–चमोली। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर। – विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. श्री दिवाकर भट्ट का शिकायती पत्र दिनांक 9.10.2023 को प्राप्त हुआ जोकि वाद संख्या 324 में दर्ज किया गया। प्रार्थी अपर बाजार जोशीमठ चमोली जिला का निवासी है एवं प्रार्थी का संयोजन, संख्या GP11205411568 है। परिवादी द्वारा शिकायत के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि उसकी शिकायत 2021 से चल रही है, और प्रार्थी द्वारा विभाग को मीटर खराब होने की सूचना दी गयी थी, लेकिन विभाग द्वारा मीटर नहीं बदला गया। प्रार्थी के अनुसार इस सम्बन्ध में कई बार प्रार्थना पत्र द्वारा विभाग को सूचित किया। शिकायतकर्ता द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को शिकायत करने के उपरान्त मंच द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार प्रार्थी ने चेक मीटर लगाने की राशि जमा कर दी, जोकि 15 दिनों के अन्दर लगाने के बजाय 3 महीने के बाद लगाया गया। जिसे प्रार्थी द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग के संज्ञान में लाने के पश्चात् मंच द्वारा विभाग को प्रार्थी को प्रतिपूर्ति देने का भी निर्णय दिया गया। प्रार्थी का प्रस्तुत परिवाद चेक मीटर बिना प्रार्थी के संज्ञान के निकाल दिए जाने के सम्बन्ध में है, एवं प्रार्थी को मीटर की रिपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। प्रार्थी का यह भी कहना है कि प्रार्थी को चेक मीटर की रिपोर्ट साझा किया जाना चाहिये जोकि नहीं किया गया, लेकिन उसको 6 महीने से NA के बिल दिये जा रहे हैं, जबकि मीटर घर के बाहर लगा हुआ है। प्रार्थी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, और विभाग के कारण प्रताड़ना हो रही है हॉलाकि वह समय पर विद्युत बिल जमा करता आया है।
2. प्रार्थी की पूर्व में दर्ज की गई शिकायत सं0 200 की पत्रावलियों का अवलोकन करने पर यह देखा गया कि प्रार्थी ने दिनांक 23.03.2021 में विभाग को अधिक मीटर रीडिंग सम्बधित और मीटर खराब होने की सम्भावना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था जिसकी प्रतिलिपि भी संलगित की है। विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को दिनांक 06.10.2021 के शिकायती पत्र में प्रार्थी ने यह स्पष्ट लिखा है कि लम्बा समय बीतने के बाद विभाग को मौखिक रूप से भी याद दिलाया गया किन्तु विभाग द्वारा प्रार्थी को आश्वासन ही मिला। विभाग ने पत्रांक 214 के द्वारा शिकायतकर्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री के साथ अपना पक्ष रखते हुए मंच को यह अवगत किया कि उपभोक्ता की शिकायत पूर्व में संख्या 22403210373 में पंजीकृत की गई थी और उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर लगाने का शुल्क जमा नहीं किये जाने के कारण स्वतः चार माह बाद निरस्त कर दी गई।

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 324 / 2023–24 दिनांक–22.12.2023

उ०शि०नि०मं० कर्णप्रयाग

सुनवाई के दौरान विभाग द्वारा मंच को यह भी अवगत किया कि उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर शुल्क जमा होने के पश्चात् चेक मीटर स्थापित किया जायेगा। उपभोक्ता को दूरभाष से बात करने पर उपभोक्ता द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उनको विभाग द्वारा कभी भी चेकमीटर शुल्क जमा करने के लिये नहीं बताया अन्यथा वह पहले ही शुल्क जमा कर देता। UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations 2020 के sub- regulations5.2.4 में उपभोक्ता की शिकायत निवारण प्रक्रिया नीचे निहित है:-

"5.2.4 ***Complaint on consumer bills***

(1) In case of any complaint being filed, the Licensee shall acknowledge the consumer's complaint immediately, if received in person, or within 3 days from the date of receipt if received by post.

(2) If no additional information is required from the consumer, the Licensee shall resolve the consumer's complaint and intimate the result to the consumer within 15 days of receipt of the complaint. In case, any additional information is required, the same shall be obtained, the issue resolved and result intimated to the consumer within 30 days of receipt of the complaint. Till the complaint on the bill is resolved, the consumer shall either pay the amount specified in the disputed bill or the amount raised in the provisional bill by the Licensee for the disputed period based on average consumption of last three consecutive undisputed bills. Amount so recovered shall be subject to final adjustment on resolution of the complaint. "

विभाग मंच को कोई भी ऐसा तथ्य व पत्रावली देने में नाकाम रहा जिससे कि यह साबित हो कि विभाग द्वारा उपभोक्ता के दिनांक 23.03.2021 की शिकायत के निवारण हेतु उपभोक्ता को UERC द्वारा चेक मीटर लगाने सम्बधित प्रक्रिया से अवगत. कराया हो। विभाग द्वारा उपरोक्त नियम का पालन उपभोक्ता की शिकायत निवारण हेतु नहीं किया गया।

3. मंच द्वारा दिनांक 07.03.2022 के निर्णय के अनुसार उपभोक्ता को मीटर टेस्टिंग फीस जमा करने का निर्णय दिया गया। उपलब्ध पत्रावलियों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उपभोक्ता ने निर्णय के अनुसार दिनांक 25.03.2022 को रसीद संख्या 3450225032202010002 द्वारा मीटर टेस्टिंग फीस जमा की और विभाग को पत्र द्वारा कार्रवाई करने का आग्रह किया। उपभोक्ता ने एक बार फिर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में दिनांक 20.06.2022 के पत्र द्वारा मीटर न लगाने की शिकायत दर्ज की और उचित न्याय की मांग की। मंच ने शिकायत वाद संख्या 253 में दर्ज करके विभाग से इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई का विवरण पत्रांक 633 दिनांक 27.06.2022 द्वारा मांगा। सुनवाई के दौरान विभाग ने चेक मीटर लगाने में देरी होने का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया। जोशीमठ में आपदा के कारण सुनवाई नवम्बर माह से जनवरी तक नहीं की जा सकी। दिनांक 19.04.2023 को विभाग द्वारा मीटर की शुद्धता जॉचने की प्रकिया में देरी होने के कारण मंच द्वारा उपभोक्ता को प्रतिपूर्ति देने का निर्णय प्रेषित किया गया जिसमें की प्रतिपूर्ति राशि निर्धारित नहीं की।

4. प्रस्तुत वरिवाद की सुनवाई दिनांक 25.10.2023 के समय विभाग ने सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जिससे कि यह स्पष्ट है कि सीलिंग प्रमाण पत्र पर उपभोक्ता अथवा उनके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं हैं। उपखण्ड अधिकारी ने मंच को यह अवगत कराया कि यह मामला मीटर डिविजन गौचर से सम्बन्धित है। लेकिन सुनवाई के समय उपस्थित श्री रमेश पंवार अवर अभियन्ता ने मंच को यह अवगत किया कि चेक मीटर फाइनल होने के समय एवं मीटर निकालते समय उपभोक्ता उपस्थित थे, और उन्होंने सीलिंग प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया यह कहकर कि वो सन्तुष्ट नहीं हैं, जोकि अवर अभियन्ता श्री रमेश पंवार ने लिखित रूप से मंच को प्रेषित किया।UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations 2020 के Sub-Regulation 5.1.3 (5) में नियत नियमों के अनुसार मीटर टेस्टिंग

क्रमशः....... 03

वाद संख्या 324/2023–24 दिनांक–22.12.2023
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

शिकायत मिलने के 30 दिनों के अन्तर्गत टेस्टिंग प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। विभाग द्वारा चेक मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र के अनुसार चेक मीटर टेस्टिंग करने की प्रक्रिया दिनांक 30.07.2022 को पूर्ण की गई। पत्रावली से यह स्पष्ट है कि मीटर फाइनल करने में विभाग द्वारा 97 दिनों का समय लगाया। शिकायतकर्ता के चेक मीटर प्रक्रिया दिनांक 25.03.2022 से 30.07.2022 के दौरान की है अतः उक्त शिकायत में विनियम UERC (Standard of Performance) Regulations 2007 लागू होगा। उक्त रेगुलेशन के Schedule III 4(1) के अनुसार मीटर की शुद्धता की दर्ज शिकायत का परीक्षण 30 दिनों के भीतर न होने पर प्रतिदिन 25रू0 प्रतिपूर्ति उपभोक्ता का देय होगी। विभाग द्वारा मीटर की शुद्धता जॉचने में 97 दिनों का समय लगा। जिसमें की 67 दिन की देरी हुई। अतः उपरोक्त विनियम के अनुसार प्रतिपूर्ति प्रतिदिन के हिसाब से उपभोक्ता को देय राशि कुल रू0 1675(एक हजार छः सौ पिचत्तर) निर्धारित होती है।

5. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations 2020 के Sub-Regulation 5.1.3 (11) और (12) में उपभोक्ता के सीलिंग प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर सम्बन्धित नियम स्पष्ट हैं एवं नीचे निहित किया गया है।

"Sub-Regulation 5.1.3(11)
Whenever the testing of meter is done, signature of the consumer, or his authorised representative, if present, would be obtained on the test report and a copy thereof shall be supplied to the consumer."

"Sub-Regulation 5.1.3(12)
If the consumer or his representative disputes or refuses to sign the test report, the defective meter shall not be replaced and the matter shall be decided either (a) upon the application of consumer, by CGRF or Electrical Inspector or any authorised third party, who shall test the correctness of the meter and give results within one month ; or (b) upon the application of Licensee , by Electrical Inspector or any authorised third party, who shall test the correctness of the meter and give results within one month.

The decision of the Electrical Inspector or CGRF or authorised third party, as the case may be, shall be final and binding on the licensee as well as the consumer. The Licensee shall keep record of all such meter tests and submit to the Commission the exception reports in every 6 months"

प्रस्तुत पत्रावलियों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता ने चेक मीटर की फाइनल रिपोर्ट पुस्तक सं0 287 फर्म संख्या 15 दिनांक 30.07.2022 पर यह कहकर उपभोक्ता ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि वो सन्तुष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में UERC के उपरोक्त विनियम के Sub-Regulation *5.1.3(11) para 5.1.3(12)* में स्पष्ट है कि अगर उपभोक्ता टेस्ट रिपोर्ट साइन करने से मना करता है तो लाइसेंसी टेस्ट की शुद्वता प्रमाणित करने के लिए Electrical Inspector or any authorised third party को आवेदन करने के लिए नियम से बाध्य है। विभाग द्वारा पूराना मीटर उपभोक्ता की असंन्तुष्टि के बावजूद निकाल दिया गया है जोकि UERC के उपरोक्त नियमों का उल्लंधन है।

विपक्षी द्वारा मीटर टेस्टिंग के UERC की नियमावली का उल्लंघन करने के कारण विपक्षी उपभोक्ता के मीटर की शुद्वता एवं गुणवत्ता साबित करने में नाकाम रहा। अतः परिवादी का परिवाद स्वीकार करके उपभोक्ता की शिकायत दिनांक 23.03.2021 से पूर्व दिनांक 20.01.2021 एवं उसके पश्तात् चैक मीटर लगाने तक यानि दिनांक 30.06.2022 तक के बिल तकनीकि आधार पर मीटर को त्रुटिपूर्ण मानते हुए निरस्त करने योग्य हैं।

क्रमशः...... 04

वाद संख्या 324 / 2023–24 दिनांक–22.12.2023

उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

विभाग दिनांक 20.01.2021 एवं 18.03.2021 के बिल उक्त तिथि से ठीक पहले के तीन बिल चक्रों के औसत के आधार पर प्रेषित कर सकता है जोकि UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations 2020 के Sub-Regulation5.1.7(1) के अनुसार यह प्रभार उसे केवल अधिकतम तीन महीने की अवधि अथवा द्विमासिक बिलिंग की दशा में अधिकतम दो बिलिंग साइकिल हेतु होंगे इसके पश्चात् विभाग त्रुटिपूर्ण मीटर बदलने के उपरान्त बिल जारी करने का अधिकार रखता है। अतः विभाग दिनांक 20.01.2021 के पश्चात् दो बिलिंग साइकिल के बिल उक्त तिथि से ठीक पहले के तीन बिल चक्रों के औसत के आधार पर तो प्रेषित कर सकता है पर दिनांक 18.03.2021 के पश्चात् के बिल सही मीटर लगाने तक प्रेषित नहीं कर सकता है।

6- पत्रावली से यह भी विदित है कि उपभोक्ता को विभाग द्वारा दिनांक 13.01.2023 से NA के बिल दिए जा रहे हैं। इस सन्दर्भ में उपभोक्ता ने शिकायत पत्र में स्पष्ट लिखा है कि विद्युत मीटर घर के बाहर लगा है और रीडिंग के लिए सुलभ है।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations 2020 के Sub-Regulation5.2.1 (7) के अनुसार विभाग उपभोक्ता को लगातार दो बिलिंग साइकिल से अधिक के NA के अस्थाई बिल प्रेषित नहीं कर सकता है। अगर उपभोक्ता का मीटर रीडिंग के लिए उपलब्ध/सुलभ नहीं होने की व्यवस्था पर Sub-Regulation 5.1.2(7) के अनुसार विभाग को कार्रवाई करना तय किया गया है।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है, कि उपभोक्ता को 67 दिनों की मीटर रीडिंग की शुद्धता मापने में देरी होने के कारण रू0 1675(एक हजार छः सौ पिचत्तर) प्रतिपूर्ति देय होगी। जोकि परिवादी के अग्रिम बिलों में समायोजित किया जाए। मंच विभाग को तकनीकि आधार पर दिनांक 20.01.23021 से दिनांक 30.06.2023 तक के बिलों एवं उन बिलों से सम्बधित सरचार्ज को मीटर त्रुटिपूर्ण मान कर निरस्त करने का आदेश देता है, विभाग परिवादी के निरस्त किए गए बिलों के भुगतान की राशि को अग्रिम बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करेगा। साथ ही दिनांक 20.01.2021 एवं दिनांक 18.03.2021 के बिल को उपभोक्ता के पिछले तीन महीने के औसत के अनुसार प्रेषित करने का भी आदेश देता है। विभाग द्वारा दिनांक 20.05.2023 के उपरान्त दिए गए NA के बिल और उन बिलों से सम्बधित सरचार्ज भी निरस्त करता है। मंच विभाग को यह भी आदेश देता है कि उपभोक्ता का चेक मीटर फाइनल करते समय अगर पूराना मीटर नही बदला गया है, तो अविलम्ब मीटर परिवर्तित करके नये मीटर के अनुसार बिल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्णय की अनुपालन आख्या 30 दिनों के भीतर मंच को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसंत बिहार देहरादून में अपील कर सकता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/12/2023 22-12-2023 22-12-2023

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL